163

माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन मप्र

प्रकरण क्रमांक
निग-2445-PBR/16

1.प्रभूलाल पिता मांगीलाल रावत मीणा,
2.उेदराम पिता मांगीलाल रावत मीणा,
3.कैलाश पिता मांगीलाल रावत मीणा,
4.इन्दरसिंह पिता मांगीलाल रावत मीणा,
5.दिनेश पिता मांगीलाल रावत मीणा,
6.गीताबाई पिता मांगीलाल रावत मीणा,
7.गुड्डीबाई पिता मांगीलाल रावत मीणा,
8.पुष्पाबाई पिता मांगीलाल रावत मीणा,
9.कमलाबाई पिता मांगीलाल रावत मीणा,
सभी निवासीयान मनासा जिला नीमच म. प्र. -----निगरानीकर्ता

श्री संदीप मेहता अभि० द्वारा उज्जैन केन्द्र पर प्रस्तुत। 22-7-16

विरुद्ध

1.बंशीलाल पिता चम्पालाल जी रावत मीणा,
2.तारुल पति महेश पंजाबी,
3.कविता पति रामलाल वधवा,
4.हसां पति ललित कचोलिया,
सभी निवासीयान मनासा जिला नीमच म. प्र. ------प्रत्यर्थीगण

22/7/16

निगरानी प्रार्थना पत्र अधिनस्त न्यायालय तेहसीलदार महोदय, मनासा के प्रकरण क्रमांक 56/अ–12/15–16 में पारीत आज्ञा दिनांक 4–7–2016 एवं की गई कार्यवाहीयो के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्तागण कि और से निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सादर निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण एवं निगरानीकर्तागण के मध्य मौजा ग्राम रामपुरिया कर भूमि सर्वे क्रमांक 51/1, 52/2, 52/3 को लेकर सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। निगरानीकर्तागण के पिता एवं प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के पिता के मध्य भूमि सर्वे क्रमांक 52 के सम्बन्ध मे प्रकरण क्रमांक 14/अ–3/73–74 में पारीत आदेश दिनांक 19–1–74 के द्वारा बटाकंन किया जा चूका है तथा नक्शे में भी बटाकंन किया गया है जिसकी छायाप्रति अनेक्श्चर –1 प्रस्तुत है जिसके अनुसार प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के पिता को भूमि सर्वे क्रमांक 52/2 बटाकंन अनुसार गई है तथा 52/3 प्रार्थीगण को बटाकंन अनुसार गई है तथा अनेक्श्चर–1 के अनुसार ही मौके पर निगरानीकर्तागण एव प्रत्यर्थी क्रमांक 1 काबिज है किन्तु प्रत्यर्थी क्रमांक 1 ने प्रत्यर्थी क्रमांक 2 से 5 को भूमि विक्रय क[illegible] दी। विक्रय पत्रो में भूमि का विवरण तो भूमि सर्वे क्रमांक 52/2 का दिया [illegible] प्रतयर्थी क्रमांक 1 ने विक्रय पत्रो में भूमि की पहचान सीमा अर्थात च[illegible] निगरानीकर्तागण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 52/3 क[illegible] कर कई झगड़े खड़े कर दिये जबकि भूमि का बटांकन तो प्रकरण 14/अ–3/73–74 में पारीत आदेश दिनांक 19–1–1974 के द्वारा किया [illegible] था राजस्व अधिकारियो से मिली भगत कर मध्य प्रदेश भू राजस्व सं[illegible] प्रावधानो के विपरीत प्रचलित मानचित्र में अवैध तरीके से निगरानीकर्तागण

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2445-पीबीआर/16 **जिला** - नीमच

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर ,से अधिवक्ता श्री संदीप **मेहता** उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के **आदेश** के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में **दिनांक** 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन **संशोधित** संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के **अंतर्गत** तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर **द्वारा** की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को **भेजा** जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 **को** कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	